न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 02/2016 (225 आरटीए)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00262

उनवान

राधेश्याम पुत्र जयसिंह उम्र 63 वर्ष जाति ठाकुर निवासी पूँठपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. वासदेव पुत्र गज सिंह जाति ठाकुर निवासी पूँठपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार बसेडी वहैसियत लैण्ड होल्डर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी दिनांक 18.12.2015 प्र.सं. 44/13 उनवान राधेश्याम बनाम वासदेव।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सुरेश श्रीवास्तव उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दिलीप शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक–11.09.2018

1. यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी के आदेश दिनांक 18.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी/अपीलाण्ट आराजी खसरा नम्बर 101 तथा 105 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज है। अप्रार्थी/रैस्पो0 आराजी खसरा नम्बर 222, 223 तथा 224 के खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी/अपीलाण्ट के खातेदारी नम्बर अप्रार्थी/रैस्पो0 की पूर्वी मेढ से लगे हुये हैं। अप्रार्थी/रैस्पो0 के आराजी खसरा नम्बर 223, 224 के मध्य जो मेढ थी उसमें होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट अपने खेतो की जुताई बुवाई तथा फसल कटाई के लिए आते–जाते थे। जिसे अप्रार्थी ने माह जुलाई सन् 2013 में नष्ट कर दिया तथा दोनों खेतो को मिलाकर एक कर लिया। जिससे प्रार्थी/अपीलाण्ट का अपने खेतो पर जाने का रास्ता बन्द हो गया। रास्ता बन्द होने के कारण प्रार्थी/अपीलाण्ट अपने खेतो में ठीक प्रकार से फसल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं कर पा रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 105 स्थित ग्राम तिमासिया के लिए सडक पॅूठपुरा–बसेडी तक के लिए अप्रार्थी/रैस्पो0 के खेत खसरा नम्बर 223 व 224 के मध्य मेढ पर होकर 30 फुट चौडा रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार बसेडी द्वारा प्रस्तुत जवाब व रिर्पोट पर कोई गौर ना करते हुए उसकी अनदेखी की है। अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार ने अपने जवाब में, प्रार्थी/अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो की पुष्टि की गयी है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के विरूद्ध अपीलाण्ट के खेतो में पहॅुचने के लिए वैकल्पिक साधन मानने में गलती की है। जबकि अपीलाण्ट के खेतो पर पहॅुचने के लिए, अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक साधन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित मार्ग की आवश्यकता को अत्यान्तिक आवश्यकता ना मानकार कानूनी प्रावधानो की अनदेखी करते हुए, मनमाने ढंग से अपीलधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि रैस्पो0 ने खसरा नम्बर 223 व 224 की मेढ को नष्ट नहीं किया है। मौके पर आज भी मेढ मौजूद है एवं अपीलाण्ट व अन्य खातेदारो के आने जोने के लिये रास्ता अपीलाण्ट की आराजी के उत्तरी पूर्वी कोने से सटा हुआ 10–12 फुट चौडा रास्ता है, जिसमें होकर अपीलाण्ट एवं समस्त ग्रामवासी अपनी–अपनी आराजी पर आते–जाते हैं। पॅूठपुरा बसेडी रोड पर अपीलाण्ट के रोड से सटे खसरा नम्बर 140, 143 व 144 हैं, जो विवादित आराजी के दक्षिणी मेढ से व रोड से सटे हुये हैं। जिसमें होकर अपीलाण्ट आराम से आ–जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यो की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध अप्रार्थी संख्या 02 'तहसीलदार' के जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2015 में, तहसीलदार द्वारा खसरा नम्बर 223 व 224 के मध्य मेढ, नक्शा लट्ठा में होना एवं खसरा नम्बर 105 व 101 के लिए कोई सरकारी रास्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं होना अंकित किया है। तहसीलदार के उक्त कथन अस्पष्ट हैं। क्योंकि तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में, नक्शा लट्ठा के आधार पर खसरा नम्बर 223 व 224 के मध्य मेढ होना एवं खसरा नम्बर 105 व 101 के लिए कोई सरकारी रास्ता नहीं होना बताया है। परन्तु मौके पर उक्त मेढ मौजूद है या नहीं अथवा खसरा नम्बर 105 व 101 के लिए कोई भी सरकारी या गैर सरकारी रास्ता है या नहीं स्पष्ट नहीं किया है। अपीलाण्ट खसरा नम्बर 223 व 224 के मध्य की मेढ को रैस्पो0 द्वारा नष्ट किया जाना बताते हैं। रैस्पो0 इसका खण्डन करते हैं। इस तथ्य के परीक्षण बाबत् अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 02 'तहसीलदार' के उक्त जवाब की पृष्ठभूमि में ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में, रास्ते हेतु वैकल्पिक रास्ते बाबत् विवेचना भी समग्र एवं स्पष्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूठपुरा बसेडी रोड पर प्रार्थी/अपीलाण्ट के रोड से सटे खसरा नम्बर 140, 143 व 144 विवादित आराजी की दक्षिणी मेढ से व रोड से सटे हुए बताये हैं, परन्तु उक्त खसरा नम्बर प्रार्थी/अपीलाण्ट के हैं या नहीं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई जमाबन्दी उपलब्ध नहीं है। नक्शा ट्रेस में भी उक्त नम्बरान रास्ते के किनारे होना स्पष्ट नहीं किए गये हैं। उपरोक्त विवेचननानुसार, अधीनस्थ न्यायालय के इस प्रकार अपूर्ण साक्ष्य एवं कयासो के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश का हम समर्थन करना उचित नहीं समझते हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के आदेश दिनांक 18.12.2015 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त विवेचनानुसार एवं धारा 251 ए में दिये गये प्रावधानो के अन्तर्गत पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.10.2018 को वास्ते सुनवाई उपस्थित हों।
7. पत्रावली फैसल शुमार की जाकर, नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।
8. निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर